



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2024/ 1395

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त अशासकीय महाविद्यालय,
विक्रम विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र।

दिनांक :- 07/6/24

विषय :- शुल्क विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित किये जाने वाले शुल्क के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि, आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में से जिन पाठ्यक्रमों पर मध्यप्रदेश शुल्क विनियामक आयोग के अनुसार शुल्क निर्धारित है। वे समस्त महाविद्यालय तीन दिवस में शुल्क विनियामक आयोग का शुल्क निर्धारण संबंधी सत्र 2024-25 का अनुमति/आदेश पत्र विक्रम विश्वविद्यालय के अकादमिक(सम्बद्धता) विभाग में ई मेल academicvikramujn@gmail.com पर एवं हार्ड कॉपी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। समयसीमा में पत्र/आदेश प्रस्तुत न करने की स्थिति में महाविद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशसनात्मक कार्यवाही होने पर समस्त जवाबदारी महाविद्यालय की होगी।

आदेशानुसार

उपकुलसचिव(अकादमिक)

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2024/ 1396

प्रतिलिपि :-

01. अति.संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।
02. वेबसाईट प्रभारी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, कृपया पत्रा को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
03. माननीय कुलगुरुजी/कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक :- 07/6/24

उपकुलसचिव(अकादमिक)